स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 374, दिनाकः 18–12–2024

मु0अ0सं0 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस थाना सिम्भावली में वांछित लोगो को भय दिखाकर रंगदारी मांगने वाला 25,000/– रू0 का ईनामी कुख्यात अपराधी/हिस्ट्रीशीटर अशोक प्रधान गिरफ्तार।

दिनांक 18–12–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद हापुड़ के थाना सिम्भावली क्षेत्र से लोगो को भय दिखाकर रंगदारी मांगने वाला मु0अ0सं0 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस थाना सिम्भावली में वांछित 25,000/– रू0 का ईनामी कुख्यात अपराधी/हिस्ट्रीशीटर अशोक प्रधान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

अशोक प्रधान पुत्र भोपाल निवासी ग्राम वीरसिंहपुर, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड।

बरामदगी–

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनाक–18–12–2024, समय–12:25, बजे स्थान–नवादा पुल से करीब 70 कदम की दूरी पर डिवाई को जाने वाले रास्ता थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में कुख्यात अपराधियों द्वारा आम नागरिको में भय व्याप्त कर रंगदारी मांगे जाने की सूचना प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 18–12–2024 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ से निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री जयवीर सिंह, मुख्य आरक्षीगण रकम सिंह, आकाशदीप, एंव विनय कुमार की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ क्षेत्र में मामूर थी। इसी बीच मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधी अशोक प्रधान डिबाई की तरफ से गंगनहर पर आने वाला है तथा वह कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम ग्राम नवादा के पास गंगनहर पर बने पुल के पास पहॅुची तो थाना सिम्भावली के उ0नि0 रामकिशोर गौतम मय फोर्स के वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। एसटीएफ टीम एंव स्थानीय पुलिस थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस में वांछित रू0 25000/– के ईनामी अपराधी अशोक प्रधान की गिरफ्तारी के लिए रणनीति बना ही रहे थे कि तभी एक

व्यक्ति ग्राम डिबाई की तरफ से पक्के रोड पर गंगनहर के किनारे घनी झाडियों से आता दिखायी दिया, जो टीम को देखकर पीछे मुडकर तेज कदमो से भागने लगा। एसटीएफ टीम द्वारा तेजी से पीछा करने पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपना नाम अशोक प्रधान निवासी उपरोक्त बताया, जिसके कब्जे से उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त अशोक से की गयी पछूताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि यह अभियुक्त थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ का हिस्ट्रीशीटर है, जिसका एच0एस0 नं0 75ए है। इसकी उम्र करीब 42 साल है और वह कक्षा 12 पास है तथा वह वर्ष–2008 से अपराध कारित कर रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त अशोक के द्वारा जो अपराधिक घटनाऐं कारित की गयी है उनमें प्रमुख रूप से निम्न हैः–

- वर्ष–2011 मे थाना कासना, ग्रेटर नोएडा के ग्राम लडपुरा निवासी सतेन्द्र की हत्या की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कासना पर मु0अ0स0ं 431/11 धारा 302/328/394/504/506/511 भादवि का अभियोग दर्ज हुआ है। इस अभियोग मे अभियुक्त अशोक 06 माह मे जेल में भी रहा था।

- वर्ष–2013 मे अमित निवासी झुम्मनपुरा थाना जारचा की हत्या जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी, गाजियाबाद पर मु0अ0स0ं 1962/13 धारा 147/148/149/302 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है।

- दिनांक 17–02–2014 को गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर जनपद बुलन्दशहर के थाना शिकारपुर के ग्राम ढूसरी के निवासी गुलाब सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 41/14 धारा 147/148/ 149/307/302/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस घटना के बाद अभियुक्त अशोक वर्ष–2015 में थाना लिंक रोड़ जनपद गाजियाबाद से जेल गया था और 28 माह जेल में बन्द रहा था।

- वर्ष–2017 मे जनपद मेरठ के ग्राम भडौली निवासी विक्रान्त गुर्जर की थाना गजरौला, जनपद अमरोहा क्षेत्र में हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गजरौला पर मु0अ0स0ं 727/17 धारा 147/148/149/34/504/302/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसके बाद यह अभियुक्त दिनांक 19–11–2018 को थाना सेक्टर 49 नोएडा से जेल गया था और लगभग 52 माह जेल में रहा था।

- दिनांक 09–10–2023 को अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अनिरूद्व उर्फ गोलू एवं रतनपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस जघन्य हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में थाना गजरौला, जनपद अमरोहा पर मु0अ0सं0 632/23 धारा 147/148/302/307/452/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में अभियुक्त अशोक प्रधान की गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद के स्तर से रू0 50,000/– का पुरस्कार भी घोषित हुआ था।

- दिनांक 18–11–2024 को अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हर्ष डबास निवासी मिडकाली थाना बुढाना जनपद मु0नगर को व्हाटसप कॉल के जरिये डरा धमकाकर 10 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली जनपद हापुड पर 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत हुआ हैं। उक्त

अभियुक्त अशोक प्रधान की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, हापुड द्वारा 25,000/-रू0 का पुरूस्कार घोषित किया गया था। रंगदारी की उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त रिंकू को दिनांक 25-11-2024 को एसटीएफ मेरठ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त अशोक प्रधान का अपराधिक इतिहास

क0स0	मु0अ0स0	धारा	Fkkuk	tuin
1	143/04	147/148/149/307 भादवि	बाबूगढ	हापुड
2	71/06	147/148/149/302 भादवि	दनकौर	गौ0बुद्धनगर
3	78/06	3/25 आर्म्स एक्ट	दनकौर	गौ0बुद्धनगर
4	106/06	3/2 रासुका	दनकौर	गौ0बुद्धनगर
5	298/08	323/325/504/506 भादवि	सिंभावली	हापुड
6	885/09	4/25 आर्म्स एक्ट	सैक्टर-20	गौ0बुद्धनगर
7	34/10	392 भादवि	सिभावली	हापुड
8	46/10	392 भादवि	सिंभावली	हापुड
9	87/10	392/411 भादवि	सिम्भावली	हापुड
10	97/10	307 भादवि	सिम्भावली	हापुड
11	99/10	4/25 आर्म्स एक्ट	सिम्भावली	हापुड
12	125/10	392 भादवि	गढमुक्तेश्वर	हापुड
13	160/10	392/411 भादवि	गढमुक्तेश्वर	हापुड
14	207/10	110 जी गुण्डा एक्ट	सिम्भावली	हापुड
15	315/10	2/3 गैगस्टर एक्ट	गढमुक्तेश्वर	हापुड
16	421/11	394/504/506 भादवि	कासना	गौतमबुद्धनगर
17	431/11	302/328/394/504/506/411 भादवि	कासना	गौतमबुद्धनगर
18	83/12	392/411 भादवि	दनकौर	गौ0बुद्धनगर
19	226/12	323/324/394/504 भादवि	सिम्भावली	हापुड
20	289/12	110 जी द0प्र0सं0	सिम्भावली	हापुड
21	285/12	395/412/120बी भादवि	सूरजपुर	गौतमबुद्धनगर
22	844/12	392/411 भादवि	बीटा-2	गौ0बुद्धनगर
23	962/13	147/148/149/302 भादवि	लोनी	गाजियाबाद
24	41/14	147/148/149/307/302/506 भादवि	कोतवाली	बुलन्दशहर
25	373/14	174ए भादवि	शिकारपुर	बुलन्दशहर
26	508/14	394/411/34 भादवि	कासना	गौतमबुद्धनगर
27	13/14	302/34/120बी/212 भादवि	रायपुर	देहरादून
28	42/15	307/411/414 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट	लिंगरोड	गाजियाबाद
29	727/17	147/148/149/34/504/302/120बी भादवि	गजरौला	अमरोहा
30	60/18	174ए भादवि	गजरौला	अमरोहा
31	258/18	3(1) गुण्डा एक्ट	गजरोला	अमरोहा
32	32/19	3/25 आर्म्स एक्ट	गजरोला	अमरोहा
33	336/19	2(b)i2(b)iii2(b)iv2(b)viii2(b)xi2(b)xii 3(i)G.Act	कासना	गौतमबुद्धनगर

34	632／23	147／148／302／307／452／506／34／120बी भादवि	गजरौला	अमरौहा
35	792／23	174ए भादवि	गजरौला	अमरोहा
36	52／24	3／25 आर्म्स एक्ट	गजरौला	अमरोहा
37	127／24	2／3 गैगस्टर एक्ट	गजरौला	अमरोहा
38	316／24	308(4)／351(2)／351(3) बीएनएस	सिम्भावली	हापुड
39	335／24	3／25 आर्म्स एक्ट	सिम्भावली	हापुड
40	588／24	126(2)／351 बीएनएस	गजरौला	अमरोहा

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिम्भावली, जनपद हापुड पर मु0अ0सं0 316／2024 धारा 308(4)／351(2)／351(3) बीएनएस पंजीकृत हैं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।